सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 88 / 2018

मैग्मा हाउसिंग फाइनैन्स रजिस्टर्ड ऑफिस—08 सन्त नगर, पूर्वी कैलाश नई दिल्ली 110065 तथा कॉरपोरेट ऑफिस प्रैस्टीज टावर, ई—1ए तीसरी मंजिल आम्रपाली सर्किल के पास, वैशाली नगर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी अमित भारद्वाज

बनाम

1. कासलैण्ड मोटर्स वास्ते पार्टनर वीरेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द कुमार शर्मा निवासी— औ—12, परिजात, अशोक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर अन्य पता— एफ—132 / 1 व एफ—132 / 2 / 1, गणेश नगर, आगरा रोड दौसा।
2. श्रीमती देवकी शर्मा पत्नी राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी— औ—12, परिजात, अशोक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर अन्य पता— एफ—132 / 2 / 1 व एफ—132 / 2 / 2, गणेश नगर, आगरा रोड दौसा।
3. विरेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र कुमार शर्मा निवासी— औ—12, परिजात, अशोक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर अन्य पता— एफ—132 / 2 / 1 व एफ—132 / 2 / 2, गणेश नगर, आगरा रोड दौसा।

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री संदीप चौहान, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 03.7.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मैग्मा हाउसिंग फाइनैन्स ने अप्रार्थी / ऋणीगण कासलैण्ड मोटर्स वास्ते पार्टनर वीरेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द कुमार शर्मा निवासी— औ—12, परिजात, अशोक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर अन्य पता— एफ—132 / 1 व एफ—132 / 2 / 1, गणेश नगर, आगरा रोड दौसा व अन्य को 8880000 / —(रूपये अठ्यासी लाख अस्सी हजार) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्राथी ऋणी द्वारा बैक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 / 2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी। उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी को सुना गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। हमने प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 / 2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नही करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई सम्पत्ति श्रीमती देवकी शर्मा पत्नी राजेन्द्र कुमार शर्मा की सम्पत्ति प्लाट नं0 एफ—132 / 1 क्षेत्रफल 83.33 वर्गगज एवं प्लाट नं0 एफ—132 / 2 / 1 क्षेत्रफल 55.55 वर्गगज गणेश नगर, आगरा रोड दौसा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जो श्रीमती देवकी शर्मा पत्नी राजेन्द्र कुमार शर्मा के नाम से है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी फाइनेन्स कम्पनी को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसले शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांकः 03 जुलाई, 2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर,दौसा